न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : अनंत भण्डारी

1. दांडिक विविध प्रार्थना-पत्र संख्या 294/2026

आलिम खान पुत्र श्री खैर मौहम्मद, उम्र करीबन 23 साल, निवासी नंगला वंजीरका, पुलिस थाना बगड तिराया, जिला अलवर (राज.)

---**प्रार्थी/अभियुक्त**

विरूद्ध

राजस्थान राज्य, जरिये लोक अभियोजक, अलवर (राज.)

---**विपक्षी/अभियोगी**

तृतीय जमानत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 245/2025, पुलिस थाना वैशाली नगर, अलवर, अपराध अन्तर्गत धारा 318(2), 318(4), 61(2), 112(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66 डी आई.टी.एक्ट

उपस्थितः-

1- श्री अमजद खान, विद्वान अधिवक्ता - प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2- श्री महेश चन्द शर्मा, विद्वान लोक अभियोजक - राज्य की ओर से।

आ दे श

दिनांकः 17.03.2026

1- प्रार्थी/अभियुक्त आलिम खान की ओर से जमानत का यह तृतीय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तुत कर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 245/2025, पुलिस थाना वैशाली नगर, जिला अलवर में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

2- संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से हैं कि फरियादी सुनील कुमार, थानाधिकारी ने एक रिपोर्ट पुलिस थाना वैशाली नगर, अलवर पर इस आशय की दर्ज करवाई कि साईबर सैल से प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक 03.09.2025 को वह मय जाब्ता पानी की टंकी के पास, वैशाली नगर, पहुंचे जहां पर शक्स बरकत अली रोड पर जाते हुए दिखाई दिया, जिसे रोककर पूछताछ की गई तो उसने उषा यादव के मकान में किराये पर रहना बताया तथा उससे साईबर फ्रॉड के संबंध में उपयोग में लिये गये रिकॉर्ड के बारे में पूछा तथा उसके कमरे की तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 17 चैक बुक, 14 ए.टी.एम., 05 पासबुक, कुछ विभिन्न लोगों के हस्ताक्षरशुदा चैक, आधार कार्ड, पैनकार्ड, स्पाईप मशीन व विभिन्न बैंकों के क्यू.आर. कोड व स्कैनर आदि मिले। फाईनेन्स बैंक के खिलाफ साईबर पोर्टल पर करीब 32 साईबर फ्रॉड की शिकायते दर्ज हुई है, जिनमें करीब 19,02,45,460/-रूपये का फ्रॉड होना पाया गया, जिसके बारे में पूछताछ करने पर उसने अपने सहयोगी हरिसिंह, जाहुल खान, मुकेश मीना के साथ संगठित गिरोह

बनाकर कमीशन के आधार पर साईबर ठगों को बैंक खाता उपलब्ध कराकर साईबर ठगी करना बताया.....इत्यादि।

3- उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना वैशाली नगर, अलवर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 245/2025, अपराध अन्तर्गत धारा 318(2), 318(4), 112(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66 डी आई.टी.एक्ट में दर्ज कर तफतीश प्रारंभ की गई। दौराने तफ्तीश प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 13.09.2025 को गिरफ्तार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.10.2025 को खारिज किया गया, जिस पर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 14.10.2025 को खारिज किया गया। तत्पश्चात प्रार्थी/अभियुक्त का द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.01.2026 को खारिज किया गया, जिस पर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना इस न्यायालय द्वारा दिनांक 06.02.2026 को खारिज किया गया। प्रकरण में बाद अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र पेश किया जा चुका है। तत्पश्चात प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.03.2026 को खारिज किया गया है, जिस पर प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह तृतीय जमानत आवेदन इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

4- प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रकरण में मुख्य अभियुक्त बरकत अली है, जिसके कब्जे से उसके कमरे में विभिन्न बैंकों की चैक बुक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्वाईप मशीन, क्यू.आर. कोड, मिले है, जिससे प्रार्थी/अभियुक्त का कोई वास्ता नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कभी भी सह-अभियुक्त बरकत अली से कोई संपर्क नहीं किया गया। प्रकरण में चार्जशीट प्रस्तुत की जा चुकी है, जिससे प्रकट हुआ है कि प्रार्थी/अभियुक्त का संबंध मुख्य अभियुक्त बरकत अली से किसी प्रकार नहीं रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त वर्तमान में पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 04 अभियोजन साक्षियों के बयान लेखबद्ध किए जा चुके हैं, जिसमें प्रार्थी/अभियुक्त का घटना में लिप्त होने का तथ्य प्रकट नहीं हुआ है और प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा साईबर अपराध की घटना कारित किया जाना तथा प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अन्य किसी अभियुक्त के साथ घटना कारित किया जाना प्रकट नहीं हुआ है। प्रकरण में अन्य साक्षियों के बयान लेखबद्ध किए जाने में समय लगेगा। अतः जमानत का लाभ प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

5- इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का कथन रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर साईबर अपराध कारित किया है। प्रार्थी/अभियुक्त आदतन अपराधी है, जो गिरोह के रूप में साईबर फ्रॉड का काम करता है। प्रार्थी/अभियुक्त विभिन्न लोगों से खाते एकत्रित करके साईबर अपराध कारित करता है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य अभियुक्त के विरूद्ध चार्जशीट प्रस्तुत की जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा विभिन्न बैंक खाते सह-अभियुक्तगण को उपलब्ध कराये जाना पत्रावली पर उपलब्ध मोबाईल चैट से पाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा साईबर अपराध कारित करने के लिए Mule अकाउण्ट उपलब्ध कराये जाते हैं। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा आपराधिक षडयंत्र रचकर अलग-अलग नामों से बैंक खुलवाकर साईबर फ्रॉड में प्रयुक्त करने के लिए कमीशन प्राप्त कर विभिन्न लोगों से साईबर फ्रॉड किया जाता है। वर्तमान में इस प्रकार के अपराध निरंतर बढते जा रहे हैं। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में भी अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज है। प्रार्थी/अभियुक्त आदतन अपराधी है। अतः जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6- उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में 04 आपराधिक प्रकरण दर्ज होना प्रकट होता है, जिनका विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैंः-

क्र.सं.	एफ.आई.आर. नं./ पुलिस थाना	केस नं.	न्यायालय का नाम	धाराऐं	स्टेटस	जमानत की दिनांक	आगामी पेशी
1.	181/2024 उद्योग नगर, अलवर	-	-	143,323,341,379 I.P.C.	-	-	-
2.	195/2024 बगड तिराया, अलवर	-	-	323,341,379,307 I.P.C. व धारा 3/25 Arms Act व धारा 3(1)(r),3(1)(s), 3(2)(5a) SC/ST Act	-	-	-
3.	469/2024 सदर, अलवर	-	-	115(2),126(2),117(2),3(5) B.N.S.	-	-	-
4.	205/2024 बगड तिराया, अलवर	-	-	3/25 Arms Act	-	-	-

7- मामले में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अपने अन्य साथी अभियुक्तगण के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र रचते हुए, छोटे संगठित अपराध में लिप्त रहते हुए, साईबर फ्रॉड करने हेतु साईबर अपराधियों को विभिन्न खातें उपलब्ध कराकर, उनमें साईबर फ्रॉड से प्राप्त राशि डलवाकर, कमीशन प्राप्त कर, लोगों से छल कारित करने व विभिन्न लोगों को बेईमानी से उत्प्रेरित कर रूपये ऐंठे जाने संबंधी धारा 318(2), 318(4), 112(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66 डी आई.टी.एक्ट के आरोप हैं।

8- पत्रावली के अवलोकन से प्रथमदृष्टया प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा साईबर फ्रॉड करने के लिए विभिन्न लोगों को बैंक खाते उपलब्ध कराये जाकर, साईबर फ्रॉड की राशि खाते में जमा होने पर कमीशन प्राप्त करना पाया गया है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के

विरूद्ध चार्जशीट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात अभी अभियोजन साक्षियों के स्तर पर प्रकरण लंबित है, जिन अभियोजन साक्षियों के बयान, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लेखबद्ध किए गए हैं, उनमें विभिन्न खातों के चैकबुक, ए.टी.एम., हस्ताक्षरशुदा चैक, क्रेडिट कार्ड, पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्वाईप मशीन बरामद होने का तथ्य प्रकट हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध विभिन्न लोगों के खाते Mule अकाउंट के रूप में अन्य अभियुक्तगण को उपलब्ध करवाये जाने तथा साईबर अपराध की राशि डलवाने तथा कमीशन प्राप्त करने संबंधी गंभीर प्रकृति का आरोप है। प्रकरण में अभी अन्य साक्षीगण के बयान लेखबद्ध किया जाना शेष है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में अन्य 04 आपराधिक प्रकरण भी दर्ज होना पाया गया है। प्रकरण में मुख्य आरोपी बरकत अली के विरूद्ध 32 शिकायतें साईबर फ्रॉड के संबंध में दर्ज होना व उसके द्वारा कुल उन्नीस करोड दो लाख पैतालीस हजार चार सौ साठ रूपये का फ्रॉड किया जाना पाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उक्त साईबर फ्रॉड हेतु विभिन्न Mule खाते उपलब्ध कराये जाना प्रथमदृष्टया प्रकट हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रथम व द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इस न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक क्रमशः 15.01.2026 व 06.02.2026 को खारिज किये जाने के पश्चात प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों में इस प्रकार का सारभूत अंतर आना प्रकट नहीं होता है, जिसके आधार पर यह तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें। प्रकरण के इस प्रक्रम पर गुणावगुण पर टिप्पणी किया जाना उचित नहीं समझता हूं। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति एवं गम्भीरता को देखते हुये प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को इस मामले में जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

-आदेश-

9- लिहाजा, प्रार्थी/अभियुक्त आलिम खान पुत्र श्री खैर मौहम्मद की ओर से प्रस्तुत हस्तगत तृतीय जमानत का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

(अनंत भण्डारी)
सेशन न्यायाधीश, अलवर

10- आदेश आज दिनांक 17.03.2026 को लिपिबद्ध करवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं मुद्रांकन विवृत न्यायालय में उदघोषित किया गया।

(अनंत भण्डारी)
सेशन न्यायाधीश, अलवर